24|8|XX.

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F3 (23)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS- IV / 48 **Dated: 18/8/20**

Notification No. 27/2020– State Tax

No. F.3(23)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS- IV / - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1**under the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	April, 2020 to June, 2020	31st July, 2020
2	July, 2020 to September, 2020	31st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from the 23rd March, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

AC(P1)
19-8-20

Ms Poonam/ Ms Anjana Mahajan/ EDP Cell
25/08/2020

Upload
25/8/2020

552/IT
8/2020

27/8/2020

No.F3 (23)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 48 Dated: 18/8/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.

(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

सं०फा० 03(23)/वित्त(राज०– I)/2020–21/डी.एस.– IV / 98 दिनांक: 18/8/20

अधिसूचना संख्यां 27/2020–राज्य कर

सं.फा. 3(23)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डीएस– IV/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्रारुप जीएसटीआर–1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं	प्ररुप जीएसटीआर–1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 से सितंबर 2020	31 अक्टूबर, 2020

3. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुनील सहगल)
उप सचिव– IV (वित्त)

सं०फा० 03(23)/वित्त(राज०– I)/2020–21/डी.एस.– IV / 48 दिनांक: 18/8/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग -- चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।

(सुनील सहगल)
उप सचिव– IV (वित्त)